केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

बनाम

गुजरात राज्य

21 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और बी. पी. सिंह,न्यायाधीशगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 397-सी जे. एम. द्वारा पारित आदेश जिसमें सी. बी. आई. को जांच करने का निर्देश दिया गया- आदेश को चुनौती देते हुए सी. बी. आई. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका-उच्च न्यायालय ने कहा कि सी. बी. आई. को सत्र न्यायालय का रुख करना चाहिए था- आगे अभिनिर्धारित किया कि सी. बी. आई. ने गलत रास्ता चुना था और यह कानून का सम्मान और पालन नहीं कर रहा थाः तथा इस क्रम में 1000 रुपए कोस्ट का आदेश दिया गया-अपील पर अभिनिर्धारित- उच्च न्यायालय के पास उक्त याचिका दायर करने में सी. बी. आई. की सदाशयता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था-उच्च न्यायालय के लिए उस पर विचार करने के लिए कोई रोक नहीं थी-सी. बी. आई. और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई आलोचना और लगाए गए खर्च के लिए कोई कानूनी बल नहीं है और इन्हें अपास्त किया जाता है।

अन्वेषण:

सी. बी. आई. द्वारा अन्वेषण- निर्धारित- सामान्य मामलों में आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

मुद्देमाल की चोरी से संबंधित एक आपराधिक मामले में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को जांच करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया।आदेश को वापस लेने की सी. बी. आई. की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।सीबीआई ने दोनों आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं थी और सी. बी. आई. को धारा 397 दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन सत्र न्यायालय के समक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों को चुनौती देनी चाहिए थी। और इस प्रकार, वैकल्पिक उपाय को दरकिनार कर सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया। 1000/- रुपए की कोस्ट लगाते हुए निर्धारित किया कि सी. बी. आई. ने गलत रास्ता चुना था और वह कानून का सम्मान और पालन नहीं कर रही थी।

इस अदालत में अपील में, सी. बी. आई. की शिकायत यह है कि संबंधित मामला नियमित प्रकृति का है और इसमें कोई विशेष जांच शामिल नहीं है। धारा 397 दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी को भी संपर्क किया जा सकता था इसलिए उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि सी. बी. आई. ने अनुतोष को दरकिनार कर दिया था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा निर्धारित :

1- उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था। नियमित मामलों को सी. बी. आई. को नहीं सौंपा जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न राज्यों की जांच एजेंसियां ऐसे मामलों की प्रभावी ढंग से जांच कर सकती हैं।बेशक, जहां यह दिखाया जाता है कि जांच एजेंसी उचित जांच नहीं कर रही है और/या यह मानने का कारण है कि जांच में ढिलाई है, तो सीबीआई को उचित मामलों में जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है।यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई जटिलता शामिल हो।यह मुद्देमाल संपत्ति की चोरी का एक नियमित मामला था।उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करने में सी. बी. आई. की ईमानदारी पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था। धारा 397 दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन उक्त याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के लिए कोई रोक नहीं थी।सी. बी. आई. और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई आलोचना और लगाए गए खर्च का कोई कानूनी आधार नहीं है और इन्हें अपास्त किया जाता है।[पैरा 5]

केंद्रीय जांच ब्यूरो जर्ये एस. पी. जयपुर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, [2001] 3 एस. सी. सी. 333 पर निर्भर।

आपराधिक अपील क्षेत्रधिकार- 2001 की आपराधिक अपील सं. 1181

विशेष आपराधिक आवेदन संख्या 1078/1999 में गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के दिनांक 17.04.2001 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध।

अपीलार्थी की ओर से अशोक भान, तुफैल ए. खान और पी. परमेश्वरन।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

1.केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में सी. बी. आई.) द्वारा इस अपील में चुनौती गुजरात उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नडियाद द्वारा पारित दिनांक 29-09-1999 तथा 26-10-1999 के आदेशों को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।पहले आदेश द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच सी. बी. आई. द्वारा करने का निर्देश दिया था, बाद के आदेश से पहले के आदेश को वापस लेने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है.

1996 का विशेष ए. सी. बी. मामला संख्या 2 पहली बार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नाडियाड के समक्ष सुनवाई और साक्ष्य के लिए दिनाक 07-01-1999 को पर आया और उस समय उपरोक्त अदालत के बेंच क्लर्क

ने नाज़िर के कार्यालय से मुद्देमाल को मंगाया, जो क्लर्क श्री शुक्ला को दिया गया और आगे वरिष्ठ क्लर्क श्री किरण जोशी को दिया गया।गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान जब मुद्देमाल की पहचान करने की आवश्यकता थी, थैले में एक मुद्देमाल आर्टिकल संख्या 2 (रु। 35000/- अर्थात। उसमें Rs.500/-denomination) के 70 नोट, नहीं पाए गए। हालांकि कड़ी तलाशी ली गई लेकिन उक्त मुद्देमाल नहीं मिला और अंततः अदालत के अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 381 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नाडियाड टाउन पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई जिसे आई. सी. आर. संख्या 22/99 के रूप में दर्ज किया गया था।जाँच अधिकारी नडियाद टाउन पुलिस स्टेशन नडियाद को लगभग 9 महीने तक इस मामले में कोई सार्थक परिणाम नहीं मिल सका।नडियाद में खेड़ा के जिला न्यायालय के नाज़िर ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नडियाद को एक पत्र लिखा जिसमें मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया गया । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाडियाड ने एक आदेश पारित कर सीबीआई को मामले की जांच करने और जल्द से जल्द उन्हें रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।सी. बी. आई. ने अपने लोक अभियोजक के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नडियाद की अदालत में एक आवेदन दायर किया जिसमें दिनांकित 29.9.1999 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया।इस आवेदन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नडियाद ने अपने दिनांक

6.10.1999 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था।दोनों आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

3.उच्च न्यायालय ने कहा कि सी. बी. आई. किसी भी अन्य वादी की तरह न्यायालय के समक्ष एक वादी है और इसे विशेष श्रेणी या विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह अपीलार्थी का दावा प्रतीत होता है।यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिका विचारणीय नहीं थी और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (संक्षेप में 'Cr.PC') के संदर्भ में सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि सी. बी. आई. को उचित अदालत में जाने का ध्यान रखना चाहिए था और इसके बजाय सी. बी. आई. ने वैकल्पिक उपाय को दरकिनार कर सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया।ऐसा कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि सी. बी. आई. के दृष्टिकोण की निंदा की जानी चाहिए और इसकी निंदा की गई। 1000/- रुपये की कोस्ट यह मानते हुए लगायी कि सी. बी. आई. ने गलत रास्ता चुना था और यह कानून का सम्मान और पालन नहीं कर रहा था। सी. बी. आई. के निदेशक को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था और जो भी उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के लिए जिम्मेदार पाया जावे, उसे सी. बी. आई. द्वारा जमा किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करनी थी। यह आगे निर्देश दिया गया कि विद्वान मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित जांच छह महीने के भीतर पूरा किया जाए।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है।सी. बी. आई. वाद पक्षकार नहीं थी।वास्तव में इसे कोई अवसर दिए बिना, यह आदेश विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच को संभलाने का निर्देश देते हुए पारित किया गया था। यदि अवसर दिया जाता, तो अदालत को दिखाया जा सकता था कि संबंधित मामला एक नियमित प्रकृति का था और इसमें कोई विशेष जांच शामिल नहीं थी।इसलिए इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि सी. बी. आई. आमतौर पर जटिल मामलों की जांच करती है। अदालत के लिए यह उचित नहीं था कि वह सी. बी. आई. को इस तरह के नियमित मामले में जांच करने का निर्देश दे जिस मामले में निर्देश दिया गया था, उसमें कोई जटिलता नहीं थी।यह बताया गया है कि धारा 397 Cr.P.C के तहत या तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है।इस मायने में उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि सी. बी. आई. ने उपचार को दरकिनार कर दिया था।यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि सी. बी. आई. अपने खिलाफ की गई आलोचना और लगाई गई कोस्ट से व्यथित है।उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने में सी. बी. आई. की सदाशयता पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं था।किसी भी

स्थिति में, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विद्वान सत्र न्यायाधीश को निर्देशित किया गया था 17.5.2001 दिनांकित आदेश द्वारा, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया था।

5. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था।इस न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो जर्ये एस. पी. जयपुर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, [2001] 3 एस. सी. सी. 333 में इस सिद्धांत को निर्धारित किया है कि क्या धारा 156 (3) Cr.P.C के तहत सी. बी. आई. को निर्देश दिया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट शक्ति को उक्त प्रावधान के तहत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करने के निर्देश के अलावा नहीं बढ़ाया जा सकता है और ऐसा कोई निर्देश सी. बी. आई. को नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में, प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले से ही पंजीकृत थी और उस अर्थ में धारा 156 (3) Cr.P.C. का कोई आवेदन नहीं था।सी. बी. आई. के विद्वान वकील की याचिका में तथ्य है कि नियमित मामलों को सी. बी. आई. को नहीं सौंपा जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न राज्यों की जांच एजेंसियां ऐसे मामलों की प्रभावी ढंग से जांच कर सकती हैं।बेशक, जहां यह दिखाया जाता है कि जांच एजेंसी उचित जांच नहीं कर रही है और/या यह मानने का कारण है कि जांच में ढिलाई है, तो सीबीआई को उचित मामलों में मामले की जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है।यह ऐसा

मामला नहीं है जिसमें कोई जटिलता शामिल हो।यह मुद्देमाल संपत्ति की चोरी का एक सामान्य मामला था।अतः ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को सही तौर पर रद्द कर दिया है।उच्च न्यायालय के पास धारा 397 Cr.P.C के तहत उसके समक्ष आवेदन दायर करने में सी. बी. आई. की सदाशयता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं था। उच्च न्यायालय के लिए उक्त याचिका पर विचार करने के लिए कोई रोक नहीं थी।सी. बी. आई. और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई आलोचना और लगाए गए खर्च के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।वे तदनुसार अपास्त किए जाते हैं।

6. अपील स्वीकार की जाती है।

डी जी।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी रविन्द्र कुमार माहेश्वरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।